

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1939 / 2014 / बीकानेर.

मैसर्स अनिश स्टील, लोहार मौहल्ला, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1940 / 2014 / बीकानेर.

मैसर्स न्यू आयरन ट्रेडर्स, गजनेर रोड़, बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18 / 01 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये दोनों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 209/आरवेट/बीकानेर/13-14 एवं 207/आरवेट/बीकानेर/13-14 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.06.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त दोनों ही फर्मों का सर्वेक्षण दिनांक 14.02.2012 को किया गया था, जिसमें इन दोनों फर्मों द्वारा आयरन एण्ड स्टील के क्रय-विक्रय तथा आयरन अलमारी आदि का निर्माण कर विक्रय किया जाना पाया गया। सक्षम जांच अधिकारी द्वारा वक्त सर्वेक्षण

लगातार.....2

उपलब्ध स्टॉक की गणना की जाकर बहियात से मिलान करके कम और अधिक पाये गये माल का अभियोग बनाते हुए वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति आरोपित की गयी थी। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दोनों ही फर्म आपस में सम्बन्धित फर्म होने से एक फर्म का माल दूसरी फर्म में गणना करके एवं जल्दबाजी में गणना करना बताया गया था एवं इसी कारण एक फर्म न्यू आयरन ट्रेडर्स में माल अधिक पाया जाना अवधारित किया गया जबकि दूसरी फर्म अनीश स्टील में माल कम पाया जाना अवधारित करते हुए अधिनियम की धारा 75(8) एवं धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गई थी। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में यह निर्णय दिया गया कि सम्पूर्ण सर्वे जल्दबाजी में एवं अनुचित जांच के किया गया है, अतः दोनों ही प्रकरणों में पुनः जांच कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये गये थे एवं अपीलार्थी को 60 दिवस के भीतर अपना वांछित रेकॉर्ड लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया था। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की अपीलें वस्तुतः स्वीकार कर सुनवाई हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत कर अपीलीय आदेशों को चुनौती दी गयी है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक ने इस प्रकरण में केवलमात्र यह आपत्ति की है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेल्स टैक्स रिवीजन नं० 620/1999 प्रताप राजस्थान स्पेशल स्टील लिमिटेड जयपुर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 01.12.2016 को निर्णय पारित कर यह विधि स्थापित की है कि प्रतिप्रेषित मामलों में समयावधि में आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थिति में वे प्रतिप्रेषित आदेश सारहीन होंगे एवं कालातीत होने से पुनः आदेश नहीं किये जा सकते हैं। इसी तरह माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 83/2010 निर्णय दिनांक 23.11.2016 में भी इसी तरह के आदेश किये गये हैं कि प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में 7 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने से अब सम्पूर्ण प्रकरण कालातीत हो चुका है अतः कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्णय दिया गया है एवं इन दोनों ही प्रकरणों में जिसमें अपीलीय आदेश दिनांक 27.06.2014 को पारित किये गये थे, जिन्हें दो साल से अधिक अवधि गुजर जाने से अब पुनः आदेश पारित नहीं किये जा सकते, अतः इन्हें कालातीत मानते हुए अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश अपास्त किया जावे।



लगातार.....3

5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के दोनों ही आदेशों में समयावधि का प्रश्न निहित था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर प्रौद्धरित निर्णय में 30 दिवस में आदेश पारित करने के लिये निर्देश किये गये थे एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(बी) में भी दो वर्ष का समय दिया हुआ था, परन्तु उस प्रकरण में 20 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी आदेश पारित नहीं किया गया। इसी तरह कर बोर्ड के आदेश में भी वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत निर्धारित अवधि ~~20~~<sup>02</sup> वर्ष के पूर्ण होने के बाद भी 7 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने से उसमें आदेश पारित नहीं होने से उसे कालातीत मानते हुए अपास्त किया गया था, जबकि इन दोनों ही प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं, उस आदेश को पारित करने की समय सीमा अब वेट अधिनियम की धारा 24(6) के अनुसार समाप्त नहीं हुई है क्योंकि अपीलीय आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी सूचना विभाग को कर दिये जाने से कर निर्धारण अधिकारी धारा 24(6) के प्रावधान अनुसार अन्तिम न्यायिक निर्णय तक पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के लिये प्रकरण लम्बित रखे गये हैं, अतः केवल इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश को खारिज किया जाना अविधिक है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. दोनों प्रकरणों में सर्वेक्षण के बाद में जो जांच एवं सत्यापन कार्य किया गया था उसमें न्यायिक सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, बल्कि अपीलार्थी व्यवहारीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये पूरा अवसर प्रदान किया गया है एवं अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार की गयी थी तथा व्यवहारी को 60 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया था, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उस आदेश की पालना की बजाय कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं एवं अब दो साल से अधिक समय गुजर जाने के उपरान्त केवल यह तर्क दिया गया है कि दो साल से अधिक समय गुजर जाने से सम्पूर्ण प्रकरण कालातीत हो गया है, जो विधि के अनुकूल नहीं है।



लगातार.....4

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय कर बोर्ड के जो निर्णय दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये हैं, वे वेट अधिनियम की धारा 24 में दिनांक 31.07.2014 को संशोधन करने के कारण समयावधि के बिन्दु पर प्रभावी नहीं रहे हैं, क्योंकि उक्त दोनों ही न्यायिक निर्णय दिनांक 31.07.2014 के पूर्व में पारित अपीलीय आदेश से सम्बन्धित हैं तब प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निस्तारण दो वर्षों में करने की समय-सीमा विहित की हुई थी। अतः दिनांक 31.07.2014 के संशोधन के पूर्व तक के प्रकरणों में दो वर्ष की समयावधि समाप्त हो जाने के मामलों में ही ये निर्णय लागू योग्य हैं। वेट अधिनियम की धारा 24(6) में दिनांक 31.07.2014 को निम्न संशोधन किया जा चुका है :-


#### 24. Assessment.-

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Tax Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within two years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of two years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the assessing authority.”.

8. विचारणीय अपीलीय आदेश के बाद अब प्रकरण कर बोर्ड में लम्बित है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधानों के अनुसार कर बोर्ड एवं उसके पश्चात् भी कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहती है तब तक प्रतिप्रेषित निर्देशों की पालना में पुनः कर निर्धारण किया जाना अनिवार्य नहीं है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें इस बिन्दु पर खारिज करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय अधिकारी के निर्देशों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि कर निर्धारण अधिकारी विधिसम्मत आदेश पारित कर सकें। यह भी उल्लेख किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आदेशों को अपास्त कर सुनवाई का अवसर देते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं, उसमें अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है बल्कि अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय किया है अतः अपीलार्थी की उक्त अपीलें खारिज की जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण की दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

  
(क. एल. जैन)  
सदस्य